सचिका स0–7/बजट–46–36/2024–25 – 506 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनाक– 13/03/2025

विषय:– **बेगूसराय जिलान्तर्गत बखरी में 50 शैय्या के नये अनुमंडलीय अस्पताल के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 22,19,50,000/– (रूपये बाईस करोड़ उन्नीस लाख पचास हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रदान की गयी प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में रू० 2,00,00,000/–(रूपये दो करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक–3773, दिनाक–02.08.2024 द्वारा बेगूसराय जिलान्तर्गत बखरी में 50 शैय्या के नये अनुमंडलीय अस्पताल के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 22 19.50.000/– (रूपये बाईस करोड उन्नीस लाख पचास हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या–463(7) दिनाक -03 03 2025 द्वारा प्रदान की गयी है।

2– तद्नुसार बेगूसराय जिलान्तर्गत बखरी मे 50 शैय्या के नये अनुमडलीय अस्पताल के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024 25 मे, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 22,19,50,000/– (रूपये बाईस करोड उन्नीस लाख पचास हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रदान की गयी प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वर्त्तमान वित्तीय वर्ष मे रू० 2,00,00,000/–(रूपये दो करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

3– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स0–463(7), दिनाक–03.03.2025 मे निहित शर्तो के आधार पर किया जायेगा।

4– उक्त कार्य मांग संख्या–20 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष– 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, लघु शीर्ष–110– अस्पताल तथा औषधालय उपशीर्ष–0113–जिला एवं अनुमडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण, जीर्णोद्वार विपत्र कोड–20-4210011100113, विषय शीर्ष–(53–01) मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा ।

5– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

6-- अवर सचिव--सह--निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म--46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0--PBBPLA007 विपत्र कोड--00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID------------ में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

7-- बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत सरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

8-- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सख्या--2561 वि0(2), दिनांक--17.04.98, 8543 वि0(2), दिनाक--27.11.2007, 3758/वि०, दिनाक--31.05.2017 एव 12888/वि०, दिनांक--03.12. 2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9-- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी ।

10-- प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

11-- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0स0-- 7/बजट--46--36/2024--25 के पृष्ठ--13/टि0 पर प्राप्त है।

12-- यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

13-- संबधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-- 506 (7) /स्वा0, पटना, दिनांक-- 13/03/2025

प्रतिलिपि--योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/असैनिक शल्य चिकित्सक--सह--मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमडलीय अस्पताल, बखरी, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः--माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव-- सह--निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।